न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्र.क्रं. 64/III/04 R 64 II/2004

मोहर बाई पुत्र स्व. श्री किशोर सिंह
ग्राम सेमरी पिपरई
परगना मुंगावली जिला गुना (म.प्र.)

..आवेदिका

विरुद्ध

1. बादल सिंह पुत्र मेहरबान सिंह
2. धीरज सिंह पुत्र हजारी सिंह
3. उमराव सिंह पुत्र हजारी सिंह
4. गजरी बाई बेवा मेहरबान सिंह (मृत)
5. प्राण सिंह पुत्र मेहरबान सिंह
समस्त निवासीगण ग्राम सेमरी पिपरई
तहसील मुंगावली जिला गुना (म प्र.)
6. प्रेमबाई पत्नी दलभंजन पुत्री मेहरबान
सिंह निवासी बीलारखी
7. तबोदरा बाई पत्नी कल्याण सिंह
पुत्री मेहरबान सिंह
निवासी ग्राम अरोली तहसील चन्देरी
जिला गुना (म.प्र.)
8. किशन बाई पत्नी लालाराम
पुत्री मेहरबान सिंह
निवासी ग्राम मडू आलमपुर परगना व
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर
प्र.क्रं. 103/98-99 अपील में पारित आदेश दिन
6.9.2001 के विरुद्ध म प्र.भू. राजस्व संहिता क्र...
50 के अधीन पुनरीक्षण .

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 64–तीन/2004 जिला–अशोकनगर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8 8 16	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक क्र0 2 की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुकर एवं अनावेदक क्र0 1 व 5 की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सेमरी पिपरई स्थित प्रज्ञाधीन भूमि, जिसका सर्वे क्र0 95 रकबा 17.218 है0 भूमि उभयपक्ष के मध्य हिस्से के मान से बटवारा हेतु, आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र नायब तहसीलदार मुंगावली के समक्ष पेश किया गया । नायब तहसीलदार मुंगावली द्वारा विधिवत कार्यवाही प्रारंभ करते हुये, प्रकरण क्रमांक 4/अ–27/1990–91 पंजीबद्ध किया गया तथा आदेश दिनांक 12.05.92 को बटवारा का आदेश पारित किया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 बादल सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें प्र0क्र0 38/92–93/अपील पर दर्ज किया जाकर दिनांक 31.10.98 से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के आदेश दिनांक 31.10.98 से परिवेदित होकर अनावेदक क्र0 1 बादल सिंह द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई	

जो प्र0क्र0 103/98--99/अपील माल में दर्ज होकर आदेश दिनांक 06.09.2001 को अस्वीकार की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका मोहरबाई पुत्री स्व0 किशोर सिंह के द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका की ओर से कोई उपस्थित न होने से प्रकरण अदम पैरवी में खारिज न करते हुये, प्रकरण का निराकरण गुण-दोषों के आधार पर किये जाने हेतु रखा जाता है ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण में वही तर्क लिये गये है जो प्रस्तुत दस्तावेजों में है । अतः तर्क दूबारा न दोहराते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा अनावेदकगण के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत अनावेदक को नोटिस जारी किया गया है, जिस पर उसके प्राप्ति के हस्ताक्षर भी अंकित है । इसके अलावा साक्षी हरनाम सिंह के भी हस्ताक्षर है । प्रकरण में विज्ञप्ति जारी की गई और फर्द बटवारा भी प्राप्त किया गया है । दिनांक 12.12.90 के कार्यवाही विवरण में तहसीलदार द्वारा स्पष्ट अंकित किया गया है कि धीरज सिंह एवं किशोर सिंह ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया है तथा शेष पक्षकार सूचना उपरांत

भी अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । नायब तहसीलदार मुंगावली के अभिलेख के अवलोकन के पाया कि विचारण न्यायालय द्वारा विविधवत प्रकरण में इश्तहार जारी किया गया, जिस पर कोई आपत्ति न आने के कारण राहखातेदार उमरांव सिंह, किशोर सिंह एवं धीरज सिंह आदि के मुताबिक 1/5 के मान से बटवारा किया गया, इसके उपरांत शेष पक्षकारों को सूचना दी गई, किन्तु सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही भी की गई । इसके पश्चात नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी ग्राम सेमरी से फर्द बटवारा की गई । पटवारी द्वारा फर्द बटवारा व शेष पक्षकार के जवाब से स्पष्ट हुआ की प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य बी-1 सं. 2046 के अनुसार सभी सहसातेदार हिस्सा 1/5 के भागीदार है । तहसील न्यायालय द्वारा विधिनुसार बटवारा का आदेश पारित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में सम्यवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत न होने से स्थिर रखा जाता है और आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य